तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 117/2025 (2025/543) अनवान पार्वती देवी बनाम कुमता देवी वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-3-26	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कि संयुक्त कब्जा काश्त कि कृषि भूमि वाके ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 4.1763 हैक्टर यानि 25 बीघा 15 बिस्वा 19 बिस्वांसी भूमि किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जो जायदाद मुझ प्रार्थी के नाम से है। उक्त भूमि में से मुझ वादी के हक हिस्से में 1427/7560 यानि 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पांबद किया जावे कि हक हिस्से की सयुंक्त कब्जा शुदा काश्त शुदा प्रार्थी के कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अडचन स्वंय अथवा अन्यों के जरिये पैदा नहीं करें, तथा बिना बंटवाडा करवाये तथा निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार को कोई निर्माण कार्य नही करें तथा ना ही हिस्सा निर्धारित हुए बिना किसी प्रकार का काश्त कार्य अप्रार्थीगण करे तथा मौके एवं रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। चुंकी वादी द्वार प्रस्तुत वाद में वाद संख्या 150/2025 (2025/542) अनवान पार्वतीदेवी बनाम कुमता देवी वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 16.03.2026 को प्राथमिक डिक्री आदेश मय डिक्री पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही होना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कि संयुक्त कब्जा काश्त कि कृषि भूमि वाके ग्राम सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 4.1763 हैक्टर यानि 25 बीघा 15 बिस्वा 19 बिस्वांसी भूमि किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जो जायदाद मुझ प्रार्थी के नाम से है। उक्त भूमि में से मुझ वादी के हक हिस्से में 1427/7560 यानि 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है। जिसमें उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हँसमुख कुँमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	